30. चूंकि मामला अत्यंत पुराना है, इसलिए, हम उच्च न्यायालय से यह निवेदन करते हैं कि वह अपील का विनिश्चय यथासंभव अधिमानतः इस निर्णय की तारीख से छह माह के भीतर करे ।

अपील मंजूर की गई ।

क.

[2019] 1 उम. नि. प. 147

दशरथ सिंह चौहान

बनाम

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

9 अक्तूबर, 2018

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) – धारा 7, 13(1)(घ) और 13(2) [सपठित भारतीय दंड सहिता, 1860 की धारा 120ख] – लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग और प्रतिग्रहण – रिश्वत का धन सह-अभियुक्त द्वारा प्रतिगृहीत किया जाना – दोनों अभियुक्तों के बीच षड्यंत्र की बात साबित न होने पर षड्यंत्र के अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाना – सह-अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन आरोपों से भी दोषमुक्त किया जाना – अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना – अभियोजन पक्ष के लिए लोक सेवक द्वारा "रिश्वत की मांग और प्रतिग्रहण" दोनों अपेक्षाओं को साबित करना आबद्धकर है और जहां केवल एक अपेक्षा को ही साबित किया गया हो, वहां अभियुक्त को दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् "डेसू" कहा गया है) का एक कर्मचारी था । सुसंगत समय पर वह निरीक्षक के पद पर कार्यरत था । शिकायतकर्ता-अरुण कुमार (अभि. सा. 1) ने तारीख 28 मार्च, 1995 को अपीलार्थी और डेसू के एक अन्य कर्मचारी राजिन्द्र कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 7 के

अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अन्य बातों के साथ-साथ यह शिकायत करते हुए दर्ज की कि उसने जनवरी, 1995 में अपने कारखाने के लिए विद्युत कनेक्शन के स्थापन हेतु आवेदन किया था और इस प्रयोजन के लिए वह अपीलार्थी से उसके कार्यालय में मिला, जहां उसने पूर्वोक्त कार्य करने के लिए उससे 4000/- रुपए की मांग की और कहा कि जब तक वह उसे 4000/- रुपए की धनराशि रिश्वत के रूप में नहीं देगा, तब तक विद्युत कनेक्शन का स्थापन संभव नहीं है । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने निरीक्षक - श्री कौल (अभि. सा. 6) की मार्फत अपीलार्थी को फंसाने के लिए तारीख 29 मार्च, 1995 को एक छापामार दल का गठन किया और एक छाया साक्षी, महिन्द्र (अभि. सा. 2) के साथ अपीलार्थी के कार्यालय में गया । कार्यालय पहुंचने पर शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी से कहा कि वह उसके द्वारा की गई मांग के अनुसार 4000/- रुपए लेकर आया है । तथापि, अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को कहा कि उक्त धन राजिन्द्र कुमार को दे दे और उसने उससे धन प्रतिगृहीत किया । जैसे ही राजिन्द्र कुमार ने धन प्रतिगृहीत किया, तभी अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 ने कमरे में प्रवेश किया और राजिन्द्र कुमार को रिश्वत के धन के साथ पकड़ लिया । इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी और सह-अभियुक्त राजिन्द्र कुमार का विशेष न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(2) और 13(1)(घ) के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए अभियोजन आरंभ किया गया । विचारण न्यायालय (विशेष न्यायाधीश) ने तारीख 31 मई, 2001 के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष प्रश्नगत अपराधों के संबंध में अपीलार्थी (अभियुक्त-1) और सह-अभियुक्त राजिन्द्र कुमार (अभियुक्त-2) के बीच कोई षड्यंत्र होने के मामले को साबित करने में असफल रहा है और इसलिए यह अभिनिर्धारित किया कि उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन षड्यंत्र का आरोप नहीं बनता है । अतः, दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन षड्यंत्र के आरोप से दोषमुक्त कर दिया । विचारण न्यायालय ने राजिन्द्र कुमार (अभियुक्त-2) को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया किन्तु अपीलार्थी (अभियुक्त-1) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए

दोषसिद्ध किया । अपीलार्थी (अभियुक्त-1) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर दिल्ली उच्च न्यायालय में दांडिक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी और विचारण न्यायालय के निर्णय की अभिपुष्टि की । अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी के विरुद्ध मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को "अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की रकम की मांग करने और उसका प्रतिग्रहण करने" की दोहरी अपेक्षा को साबित करना आवश्यक था । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष का आरोप यह था कि अपीलार्थी ने रिश्वत का धन प्रतिगृहीत नहीं किया था अपितु यह धन सह-अभियुक्त - राजिन्द्र कुमार द्वारा प्रतिगृहीत किया गया था और उसके कब्जे से बरामद किया गया था । ऐसी परिस्थितियों में, यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने सीधे तौर पर शिकायतकर्ता से धन प्रतिगृहीत किया था । चूंकि अपीलार्थी और राजिन्द्र कुमार के विरुद्ध षड्यंत्र का अभिवाक् असफल रहा था, इसलिए अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि राजिन्द्र कुमार के कब्जे से बरामद धन 4000/- रुपए वास्तव में अपीलार्थी के लिए रिश्वत का धन था । इतना ही नहीं, जब षड्यंत्र से दोषमुक्ति का फायदा राजिन्द्र कुमार को दिया गया था, किन्तु यह फायदा अपीलार्थी को नहीं दिया गया । अतः, न्यायालय के मत में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी द्वारा तारीख 29 मार्च, 1995 को शिकायतकर्ता से 4000/- रुपए का रिश्वत का धन प्रतिगृहीत करने के तथ्य को साबित करने में असफल रहा है । चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए, अभियोजन पक्ष "अभियुक्त द्वारा की गई रिश्वत के धन की मांग और प्रतिग्रहण" की दोहरी अपेक्षाओं को साबित करने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन है और केवल एक अपेक्षा को साबित करना तथा दूसरी को साबित न करना पर्याप्त नहीं है । इसलिए, अपीलार्थी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से भी दोषमुक्ति का हकदार है । (पैरा 29, 30, 31 और 32)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[1996]	(1996) 11 एस. सी. सी. 720 : **एम. के हरशन** बनाम **केरल राज्य** ;	32
[1972]	(1972) 2 एस. सी. सी. 466 : **भगत सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य** ।	27

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 1276.

2001 की दांडिक अपील सं. 447 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तारीख 20 जुलाई, 2009 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री ऋषि मल्होत्रा

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री गीता लूथरा, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सर्वश्री पी. के. डे., टी. ए. खान, उज्ज्वल जैन और अरविंद कुमार शर्मा (मुकेश कुमार मरोड़िया, अधिवक्ता की ओर से)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – यह अपील 2001 की दांडिक अपील सं. 447 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तारीख 20 जुलाई, 2009 को पारित किए गए उस अंतिम निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी और 1995 के आपराधिक मामला सं. 53 में विशेष न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे संक्षेप में भारतीय दंड संहिता कहा गया है) की धारा 120ख के अधीन आरोप से दोषमुक्त और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें आगे संक्षेप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कहा गया है) की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन आरोपों के लिए उसे दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन संचयी रूप से 40,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह मास का अतिरिक्त कारावास

भोगने का दंडादेश देते हुए तारीख 31 मई, 2001 को पारित आदेश द्वारा अधिनिर्णीत उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा ।

2. इस अपील में अंतर्वलित विवाद्यकों का मूल्यांकन करने के लिए इसमें नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है ।

3. संक्षेप में, अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् "डेसू" कहा गया है) का एक कर्मचारी था । सुसंगत समय पर वह निरीक्षक के पद पर कार्यरत था ।

4. शिकायतकर्ता-अरुण कुमार (अभि. सा. 1) ने तारीख 28 मार्च, 1995 को अपीलार्थी और डेसू के एक अन्य कर्मचारी राजिन्द्र कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 7 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अन्य बातों के साथ-साथ यह शिकायत करते हुए दर्ज की कि उसने जनवरी, 1995 में अपने कारखाने के लिए विद्युत कनेक्शन के स्थापन हेतु आवेदन किया था और इस प्रयोजन के लिए वह अपीलार्थी से उसके कार्यालय में मिला, जहां उसने पूर्वोक्त कार्य करने के लिए उससे 4000/- रुपए की मांग की और कहा कि जब तक वह उसे 4000/- रुपए की धनराशि रिश्वत के रूप में नहीं देगा, तब तक विद्युत कनेक्शन का स्थापन संभव नहीं है ।

5. उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने निरीक्षक - श्री कौल (अभि. सा. 6) की मार्फत अपीलार्थी को फंसाने के लिए तारीख 29 मार्च, 1995 को एक छापामार दल का गठन किया और एक छाया साक्षी, महिन्द्र (अभि. सा. 2) के साथ अपीलार्थी के कार्यालय में गया ।

6. कार्यालय पहुंचने पर शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी से कहा कि वह उसके द्वारा की गई मांग के अनुसार 4000/- रुपए लेकर आया है । तथापि, अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को कहा कि उक्त धन राजिन्द्र कुमार को दे दे और उसने उससे धन प्रतिगृहीत किया । जैसे ही राजिन्द्र कुमार ने धन प्रतिगृहीत किया, तभी अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 ने कमरे में प्रवेश किया और राजिन्द्र कुमार को रिश्वत के धन के साथ पकड़ लिया ।

7. इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी और सह-अभियुक्त राजिन्द्र कुमार का विशेष न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(2) और 13(1)(घ) के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए अभियोजन आरंभ

किया गया । अभियोजन पक्ष ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित तीनों आरोपों को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा । अपीलार्थी ने भी प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किया ।

8. विचारण न्यायालय (विशेष न्यायाधीश) ने तारीख 31 मई, 2001 के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष प्रश्नगत अपराधों के संबंध में अपीलार्थी (अभियुक्त-1) और सह-अभियुक्त राजिन्द्र कुमार (अभियुक्त-2) के बीच कोई षड्यंत्र होने के मामले को साबित करने में असफल रहा है और इसलिए यह अभिनिर्धारित किया कि उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन षड्यंत्र का आरोप नहीं बनता है । अतः, दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन षड्यंत्र के आरोप से दोषमुक्त कर दिया ।

9. इस विवाद्यक पर विचारण न्यायालय द्वारा पैरा 14 और 16 में अभिलिखित किया गया निष्कर्ष निम्नलिखित है :–

> "14. हमारे समक्ष मामले में, अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 के बीच कोई आपराधिक षड्यंत्र विद्यमान होने के बारे में किंचित भी साक्ष्य नहीं है । जब एक बार यह सिद्ध हो गया होता, केवल तभी हम दोनों अभियुक्तों के कथन का न केवल उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध अपितु उनमें से एक-दूसरे के विरुद्ध और ऐसे आपराधिक षड्यंत्र की विद्यमानता को साबित करने के लिए भी, अनुशीलन कर सकते थे ।
>
> 16. हमारे समक्ष ऐसी स्थिति नहीं है । केवल कतिपय कथन ही है । किसी भी दशा में, जब एक बार षड्यंत्र साबित नहीं हुआ है, यहां तक अभियुक्त-1 द्वारा अभियुक्त-2 के विरुद्ध और अभियुक्त-2 द्वारा अभियुक्त-1 के विरुद्ध किए गए कथन को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है ।"

10. इसके पश्चात् विचारण न्यायालय ने अन्वेषक अधिकारी श्री कौल (अभि. सा. 6) के साक्ष्य को इस आधार पर अविश्वसनीय माना कि उसकी स्वयं की निष्ठा संदेहास्पद है क्योंकि उच्च न्यायालय ने एक मामले में उसके विरुद्ध रिश्वत का मामला रजिस्ट्रीकृत करने का निदेश दिया था और इसलिए इस मामले में उसके साक्ष्य का अवलंब नहीं किया जा सकता है (विचारण न्यायालय के निर्णय का पैरा 17 देखें), किन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराने के लिए छाया साक्षी (अभि. सा. 2 - महिन्द्र लाल) के साक्ष्य को विश्वसनीय माना ।

11. तद्नुसार, विचारण न्यायालय ने राजिन्द्र कुमार (अभियुक्त-2) को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया किन्तु अपीलार्थी (अभियुक्त-1) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया ।

12. तथापि, राज्य ने विचारण न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया और राजिन्द्र कुमार की दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की और यहां तक कि अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्ति के विरुद्ध भी कोई अपील फाइल नहीं की ।

13. अपीलार्थी (अभियुक्त-1) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर दिल्ली उच्च न्यायालय में दांडिक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी और निवारण न्यायालय के निर्णय की अभिपुष्टि की और इसी कारण अपीलार्थी (अभियुक्त-1) द्वारा विशेष इजाजत लेकर इस न्यायालय में यह अपील फाइल की गई है ।

14. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना ।

15. अपीलार्थी (अभियुक्त-1) की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री ऋषि मल्होत्रा ने आक्षेपित आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर बहस की ।

16. प्रथमतः, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि जहां तक धारा 120ख के अधीन षड्यंत्र के अपराध का संबंध है, विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों (अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2) को ठीक ही दोषमुक्त किया है और राजिन्द्र कुमार (अभियुक्त-2) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन सभी आरोपों से भी दोषमुक्त करके ठीक किया है, किन्तु अपीलार्थी (अभियुक्त-1) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन अपराधों से दोषमुक्त न करके गलती की है ।

17. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि जब एक बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी (अभियुक्त-1) और सह-अभियुक्त (अभियुक्त-2) के विरुद्ध भारतीय दंड सहिता की धारा 120ख के अधीन षड्यंत्र का आरोप "साबित नहीं हुआ है" और इसके अतिरिक्त राजिन्द्र कुमार (अभियुक्त-2) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन आरोपों से

पूरी तरह दोषमुक्त करके उसे ठीक ही इसका फायदा दिया गया है, तो यही फायदा अपीलार्थी (अभियुक्त-1) को भी दिया जाना चाहिए था ।

18. द्वितीयतः, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल छाया साक्षी (अभि. सा. 2) के साक्ष्य पर आधारित है, जबकि अन्वेषक अधिकारी- श्री कौल (अभि. सा. 6) के साक्ष्य पर संदेहास्पद निष्ठा के कारण विश्वास नहीं किया गया था ।

19. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि ऐसे मामले में मूलभूत अपेक्षा अर्थात् अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की मांग और इसके प्रतिग्रहण को साबित करने की अपेक्षा को युक्तियुक्त संदेह के परे तो दूर साबित तक नहीं किया गया है । यह आग्रह किया गया कि अभियोजन पक्ष अधिक से अधिक जो साबित करने में समर्थ हुआ है वह अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता से की गई रिश्वत की "मांग" है किन्तु "इसके प्रतिग्रहण" को साबित नहीं कर सका है क्योंकि साक्ष्य से और निचले न्यायालयों के निष्कर्षों से स्पष्ट निबंधनों में यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी ने धन प्रतिगृहीत नहीं किया था और धन राजिन्द्र कुमार (अभियुक्त-1) के कब्जे से बरामद किया गया था ।

20. अतः, यह आग्रह किया गया कि चूंकि अपीलार्थी के संदर्भ में रिश्वत के धन के प्रतिग्रहण की बात साबित नहीं हुई है और न ही यह साबित किया गया है कि राजिन्द्र कुमार ने धन अपीलार्थी के लिए या उसकी ओर से प्रतिगृहीत किया था, इसलिए अपीलार्थी की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन दोषसिद्धि तो दूर, किसी भी उपबंध के अधीन दोषसिद्धि विधिक रूप से संधार्य नहीं है और इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए ।

21. उत्तर में, प्रत्यर्थी (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) की ओर से विद्वान् काउंसेल ने दोनों निचले न्यायालयों के तर्काधार और निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन किया और यह दलील दी कि आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का मामला नहीं बनता है और इसलिए यह अपील खारिज कर दी जाए ।

22. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने पर हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की दलीलों में बल पाते हैं ।

23. यह विवादग्रस्त नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी और

सह-अभियुक्त-राजिन्द्र कुमार के विरुद्ध तीन आरोप विरचित किए थे और तीन आरोपों में से दो अर्थात् आरोप सं. 1 और 2 षड्यंत्र पर आधारित थे । यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी और राजिन्द्र कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन षड्यंत्र के आरोप को साबित करने में असफल रहा है और तद्नुसार उन दोनों को उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया । यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि जहां तक सह-अभियुक्त राजिन्द्र कुमार का संबंध है, उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन के सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था । यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि राज्य ने न तो राजिन्द्र कुमार की पूरी तरह दोषमुक्ति को और न ही अपीलार्थी की भागतः दोषमुक्ति को उच्च न्यायालय में कोई अपील फाइल करके चुनौती दी है । इसलिए, इसने अंतिमता प्राप्त कर ली है ।

24. सारतः, दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध यह आरोप थे कि अपीलार्थी ने राजिन्द्र कुमार के साथ मिलकर शिकायतकर्ता-अरुण कुमार से विद्युत कनेक्शन के स्थापन के मामले में अपना पदीय अनुग्रह दर्शित करने के लिए हेतु और इनाम के रूप में 4000/- रुपए के अवैध रिश्वत के धन की मांग और प्रतिग्रहण करने के लिए षड्यंत्र किया और उसको अग्रसर करते हुए अपीलार्थी ने तारीख 28 मार्च, 1995 तथा 29 मार्च, 1995 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न से 11.55 बजे पूर्वाह्न में शिकायतकर्ता से डेसू कार्यालय में 4000/- रुपए की मांग की और उसे उक्त धन राजिन्द्र कुमार-सह-अभियुक्त को देने का निदेश दिया, जिसने उसकी ओर से उक्त धन प्रतिगृहीत किया ।

25. हमारी सुविचारित राय में, जब यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध षड्यंत्र से संबंधित आरोप साबित नहीं हुए हैं और दोनों अभियुक्तों को उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था और फिर परिणामस्वरूप राजिन्द्र कुमार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन सभी आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया गया था, तब प्रबलत्तर कारण से अपीलार्थी भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्ति का हकदार है ।

26. अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन नहीं है कि अपीलार्थी ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था और यद्यपि उस अन्य व्यक्ति की शनाख्त सिद्ध नहीं हुई थी, तो भी अपीलार्थी को भारतीय दंड

संहिता की धारा 120ख के अधीन दोषी ठहराया गया था । इसके विपरीत, हम यह पाते हैं कि अभियोजन का पक्षकथन यह था कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता-अरुण कुमार से अवैध परितोषण के रूप में 4000/- रुपए की राशि प्रतिगृहीत करने के लिए राजिन्द्र कुमार नामक व्यक्ति के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था ।

27. जब राजिन्द्र कुमार के साथ-साथ अपीलार्थी को भी षड्यंत्र के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था और इसके अतिरिक्त सह-अभियुक्त राजिन्द्र कुमार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन आरोपों से भी दोषमुक्त कर दिया गया था, तब अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों का भी आवश्यक रूप से धराशायी होना लाजिमी है । (**भगत सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले का पैरा 15 देखें)

28. अपीलार्थी की षड्यंत्र से संबंधित आरोप से दोषमुक्ति होने के बावजूद और राजिन्द्र कुमार की सभी आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्ति के होते हुए भी, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन आरोप को साबित करने में असफल रहा है ।

29. यही कारण है कि अपीलार्थी के विरुद्ध मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को "अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की रकम की मांग करने और उसका प्रतिग्रहण करने" की दोहरी अपेक्षा को साबित करना आवश्यक था । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष का आरोप यह था कि अपीलार्थी ने रिश्वत का धन प्रतिगृहीत नहीं किया था अपितु यह धन सह-अभियुक्त - राजिन्द्र कुमार द्वारा प्रतिगृहीत किया गया था और उसके कब्जे से बरामद किया गया था ।

30. ऐसी परिस्थितियों में, यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने सीधे तौर पर शिकायतकर्ता से धन प्रतिगृहीत किया था । चूंकि अपीलार्थी और राजिन्द्र कुमार के विरुद्ध षड्यंत्र का अभिवाक् असफल रहा था, इसलिए अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि राजिन्द्र कुमार के कब्जे से बरामद धन 4000/- रुपए वास्तव में अपीलार्थी के लिए रिश्वत का धन था । इतना ही नहीं, जब षड्यंत्र से

---

[1] (1972) 2 एस. सी. सी. 466.

दोषमुक्ति का फायदा राजिन्द्र कुमार को दिया गया था, किन्तु यह फायदा अपीलार्थी को नहीं दिया गया ।

31. अतः, हमारे मत में, अपीलार्थी द्वारा तारीख 29 मार्च, 1995 को शिकायतकर्ता से 4000/- रुपए का रिश्वत का धन प्रतिग्रहण करने, उसके विरुद्ध विरचित आरोपों के अनुसार, के तथ्य को साबित करने में असफल रहा है ।

32. चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए, अभियोजन पक्ष "अभियुक्त द्वारा की गई रिश्वत के धन की मांग और प्रतिग्रहण" की दोहरी अपेक्षाओं को साबित करने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन है और केवल एक अपेक्षा को साबित करना था दूसरी को साबित न करना पर्याप्त नहीं है । इसलिए, अपीलार्थी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से भी दोषमुक्ति का हकदार है (**एम. के हरशन** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले का पैरा 8 देखें)

33. पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, यह अपील सफल होती है और तद्नुसार मंजूर की जाती है । आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है । निचले न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं और अपीलार्थी को उक्त आरोपों से उन्मुक्त किया जाता है ।

34. यदि अपीलार्थी पहले ही जमानत पर है तो उसके लिए अभ्यर्पण करना आवश्यक नहीं है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

---

[1] (1996) 11 एस. सी. सी. 720.